ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत
[Phone No. 07152-232669, Fax No. 07152-247602]
[Website : www.hindivishwa.org]

निविदा

Tender No. : MGAHV/CD/34/2023-24/.20 Date : 30.11.2023

विश्वविद्यालय के नज़ीर हाट स्थित दुकानों का आबंटन किया जाना है। निविदा की पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.hindivishwa.org* पर उपलब्ध है।

कादर नवाज़
कुलसचिव
30/11/23

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कादर नवाज़ खान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903
मोबाईल +91 9422905760

क्रमांक: 34/2022-23/Shopping Complex/Shop No./01 / 911

दिनांक: 30.11.2023

दुकान आबंटन हेतु सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के नजीर हाट स्थित कुछ खाली दुकानों का आबंटन किया जाना हैः-

क्रम संख्या	आबंटित की जाने वाली दुकानों का नाम/ क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम दर (प्रति वर्ग फिट)	टिप्पणी
01.	मसि-कागद (01)	184.42	....	
02.	झकाझक (02)	118.79	....	
03.	सर्वोदय (03)	118.79	....	
04.	रोजमर्रा (05)	150.64	....	
05.	पोथी (06)	150.64	....	
06.	लिबास (07)	129.12	....	
07.	कन्दमूल (08)	129.12	....	
08.	गोरस (09)	129.12	....	
09.	कुंतल (12)	86.08	....	
10.	आपूर्ति (13)	184.42	....	
11.	केंद्रीय पुस्तकालय के पास वाली दुकान	120		

1. दुकानों हेतु आवेदन दिनांक 22.12.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा।
2. Technical & Financial bid के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर लिफाफे पर **"दुकान हेतु आवेदन"** स्पष्ट लिखा हुआ हो। सभी लिफाफों पर मोबाइल नंबर, फर्म का नाम व पता लिखना अनिवार्य होगा।
3. निविदा को कुलसचिव कार्यालय में रखे Tender Box में डालना होगा।
4. जिस उद्देश्य के लिए दुकान चाहिए, उसका, आवेदन में स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
5. दुकान का आबंटन प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष की अवधि (दो वर्ष बाद हर वर्ष 05% किराए में वृद्धि करते हुए) तक बढ़ाया जा सकता है।
6. दुकान हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह आबंटी द्वारा देय होगी।

कृ.प.उ.

पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Manas Mandir, Gandhi Hills, Wardha-442 001 (Maharashtra), INDIA
वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org, **ई-मेल/E-mail :** registrar@hindivishwa.org & cdmgahv@gmail.com

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्याल
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्याल
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ खान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903
मोबाईल +91 9422905760

7. पानी शुल्क दुकानों हेतु रु.100/- (रुपया सौ मात्र) प्रति माह की दर से द्वारा आबंटी देय होगा।
8. दुकान अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
9. प्रत्येक दुकान क्रमांक के सापेक्ष अलग-अलग प्राप्त होने वाली निविदाओं के मध्य तुलनात्मक विवरण तैयार कर निर्णय लिया जाएगा।
10. आबंटित दुकानों को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम,वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन दुकान आबंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
11. आबंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में दुकान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
12. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई भी ब्याज़ देय नहीं होगा।
13. आबंटी को अपने Pan Card, Aadhar Card की स्व-हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
14. उक्त किसी भी निविदा एवं शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सदैव सुरक्षित रहेगा।
15. उक्त कार्य के लिए न्याय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
30/11/23

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. माननीय कुलपति की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव
3. वित्ताधिकारी
4. लीला प्रभारी, (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. संबंधित पत्रावली

पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Manas Mandir, Gandhi Hills, Wardha-442 001 (Maharashtra), INDIA
वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org, **ई-मेल/E-mail :** registrar@hindivishwa.org & cdmgahv@gmail.com

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),
वेबसाइट :www.hindivishwa.org

दुकान आबंटन हेतु सूचना के आवश्यक बिन्दु

वित्तीय निविदा

क्रमांक	विवरण	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति वर्ग फिट)	दुकान के किराए की दर @ रु. प्रति वर्ग फिट	दुकान लेने का उद्देश्य
01.	• दुकान क्रमांक....... • दुकान का नाम....				

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आबंटन संबंधी समस्त नियम/शर्तें मुझे मंजूर हैं। यदि नियम/शर्तें मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को ज़ब्त करते हुए मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक **हस्ताक्षर**

स्थान **निविदाकर्ता का पूरा नाम**

पता

- मकान संख्या–
- मुहल्ला–
- थाना –
- जिला –
- राज्य –
- पिन कोड–
- मोबाइल नं.–
- ई–मेल–